

:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :- अनील कुमार

मूकदमा नम्बर 25/2019 (संलग्न पत्रावली 40/19)
अन्तिम डिक्री निर्णय दिनांक 18.03.2021

प्रेमचंद्र पिता जेठा जी पंचाल उम्र 82 साल निवासी लिखीबडी प0ह0 लिखीबडी
तहसील सीमलवाडा वादी

बनाम

1. श्रीमति रतन बेवा रूपजी लोहार उम्र 90 निवासी लिखीबडी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
2. श्री सुरजमल पिता देवचंद लोहार उम्र 38 निवासी लिखीबडी
3. श्री अमृतलाल पिता देवचंद लोहार उम्र 57 निवासी लिखीबडी
4. श्री भोगीलाल पिता देवचंद लोहार उम्र 44 निवासी लिखीबडी
5. श्रीमति हुकी पिता देवचंद जी लोहार उम्र 54 हाल बर मकान पति श्री चेतनलाल पंचाल निवासी विकासनगर तहसील झौंथरी जिला डूंगरपुर
6. श्रीमति सूर्या पिता देवचंद लोहार उम्र 46 हाल बर मकान पति श्री डायालाल जी पंचाल निवासी सिसोदरा तालुका मेघरेज जिला अरवल्ली राज्य गुजरात
7. श्रीमति अशु पिता देवचंद लोहार उम्र 38 हाल निवास बर मकान पति श्री मोहनलाल पंचाल निवासी साकरसी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
8. श्रीमति रेखा पिता देवचंद लोहार उम्र 35 हाल निवासी बर मकान पति श्री मणीलालजी पंचाल निवासी रास्तापाल तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
9. श्री मणीलाल पिता रामा लौहार उम्र 42 निवासी लिखीबडी तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर
10. श्री कन्हैयालाल पिता रामा लौहार उम्र 38 निवासी लिखीबडी
11. श्रीमति सवीता बेवा रामा लौहार उम्र 65 निवासी लिखीबडी
12. लेण्ड होल्डर भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53/188/209 राज0टी0एक्ट
प्रकरण संख्या 25/2019 रेवेन्यु

उपस्थित :-

1. अल्लाहनूर मन्सुरी, अधिवक्ता वादी
2. प्रतिवादीगण नं0 1-2 श्री भगवान गुर्जर, अधिवक्ता


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा




:: निर्णय (अन्तिम डिक्री/निर्णय) बटवारा स्कीम ::

दिनांक 18/03/2021

वादी की ओर से संयुक्त खाते की आराजी हेतु कानूनी बटवारा किये जाने का वाद प्रस्तुत किया गया जिस पर प्रतिवादीगण की तलबी की जाने पर वे उपस्थित हुए एवं अधिवक्ता नियुक्त किया। दोराने कार्यवाही पक्षकार मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड के अनुसार बटवारा कराए जाने की सहमति व्यक्त की।

पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर खतोनी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण हिस्सा बराबर के भागीदार रेकार्ड में अंकित है। इस लिए वादी एवं प्रतिवादीगण के बीच संयुक्त खाते का कानूनी बटवारा मौके पर रेकार्ड एवं कब्जे के अनुसार बटवारा स्कीम संयुक्त खाते की जो मौजा लिखीबडी में स्थित संवत् 2073 से 2076 के खाता संख्या 138 नयी वो 114 पुरानी के कुल आराजी 22 कुल क्षेत्रफल 40-07 बीघा के आराजीयात खसरा नम्बर 71 रकबा 4-11, खसरा नंबर 74 रकबा 1-10, खसरा नंबर 83 रकबा 2-01, खसरा नंबर 138 रकबा 4-18, खसरा नंबर 165 रकबा 0-02, खसरा नंबर 166 रकबा 0-09, खसरा नंबर 172 रकबा 0-12, खसरा नंबर 190 रकबा 1-16, खसरा नंबर 191 रकबा 2-10, खसरा नंबर 208 रकबा 0-16, खसरा नंबर 209 रकबा 5-14, खसरा नंबर 272 रकबा 5-10 खसरा नंबर 415 रकबा 0-12, खसरा नंबर 437 रकबा 1-03, खसरा नंबर 442 रकबा 1-11, खसरा नंबर 443 रकबा 0-13 खसरा नंबर 528 रकबा 0-19, खसरा नंबर 529 रकबा 0-05, खसरा नंबर 530 रकबा 0-05 खसरा नंबर 531 रकबा 0-04, खसरा नंबर 587 रकबा 0-14, खसरा नंबर 638 रकबा 3-12 बीघा स्थित है जिसमें वादी का 1/4, प्रतिवादीगण नं0 1 का 1/4, प्रतिवादी नं0 2 से 8 का 1/4 एवं प्रतिवादी नं0 9 से 11 का 1/4 हिस्सा रेवेन्यु रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित है जिसका कानूनी बटवारा नहीं होकर आपसी बटवारा के तहत काबित होकर काशत करते हुये आ रहे है जिससे कम ज्यादा भूमि होने से विवाद पैदा होता रहने से वादी एवं प्रतिवादीगण मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड के अनुसार समान रूप से बटवारा चाहते होने से प्राइमरी डिक्री जारी की जाकर मौके पर कब्जे एवं रेकार्ड के अनुसार समान रूप से बटवारे कराए जाने दोनों अधिवक्ता सहमत होने से पत्रावली में बटवारा स्कीम मंगवाई जाना उचित प्रतीत होने से प्राइमरी डिक्री जारी की गई। प्राइमरी डिक्री पश्चात तहसीलदार सीमलवाडा द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की कॉपी दोनो अधिवक्तागण को दी गई। वादीगण के अधिवक्ता ने आपत्ति पेश कर विभाजन प्रस्ताव मोके अनुसार नहीं होना बताया जिस पर प्रतिवादी अधिवक्ता ने बताया कि इनकी आपत्ति सही नहीं है परंतु मुझे इस पर भी आपत्ति नहीं है, अतः वादीगण की आपत्ति स्वीकार कर प्रस्तावित आपत्ति पर पेश समझौता पत्र


उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा



अनुसार बटवारा स्वीकार कर संलग्न सारणी एवं नजरी नक्शे में भरे रंग अनुसार अंतिम डिग्री जारी की जाती है।

कुल खसरे एवं रकबा का विवरण			प्रेमचन्द्र पिता जेठा (वादी)		श्रीमति रतन बेवा रूपजी की जगह जरिये बकसीस सूरजमल पिता देवचन्द		अमृतलाल पिता देवचन्द वगैरा (प्रतिवादी संख्या 2-8)		श्री मणीलाल पिता रामा वगैरा (प्रतिवादी संख्या 9-11)	
खसरा नंबर	रकबा (बीघा)	वर्तमान जमाबंदी में रकबा (है०)	खसरा न.	रकबा (बीघा) OR (है०)	खसरा न.	रकबा (बीघा) OR (है०)	खसरा न.	रकबा (बीघा) OR (है०)	खसरा न.	रकबा (बीघा) OR (है०)
71	4.11	0.7365	782 / 138 का 13/2 का 4 भाग	2.10 OR 0.404 7	71 का 1/2 भाग	2.055 OR 0.3682 5	74	1.10 OR 0.2428	71 का 1/2 भाग	2.055 OR 0.36825
74	1.10	0.2428	165	0.02 OR 0.0162	83 का 1/2 भाग	1.005 OR 0.165 9	172	0.12 OR 0.0971	83 का 1/2 भाग	1.005 OR 0.165 9
83	2.10	0.3318	166 का 5/9 भाग	0.05 OR 0.040 5	190 का 1/2 भाग	0.18 OR 0.1457	191	2.10 OR 0.4047	782 / 138 का 11/2 का 4 भाग	2.06 OR 0.3804
782 / 138, 138	4.16, 0.02	0.7851 0.0081	208	0.16 OR 0.1295	272 का 1/2 भाग	2.15 OR 0.445 15	272 का 1/2 भाग	2.15 OR 0.44515	166 का 2/9 भाग	0.02 OR 0.0162
165	0.02	0.0162	209	5.14 OR 0.922 7	415	0.12 OR 0.097 1	442	1.11 OR 0.2509	190 का 1/2 भाग	0.18 OR 0.1457
166	0.09	0.0728	587	0.14 OR 0.1133	443	0.13 OR 0.105 2	528 का 10 / 1	0.10 OR 0.0809	437	1.03 OR 0.1862

उपखण्ड मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा



172	0.12	0.0971	—	—	638	1.16 OR 0. 2913 5	9 भाग 529	0.05 OR 0.0405	528 का 9/19 भाग	0.09 OR 0.072 8
190	1.16	0.2914	—	—	166 का 2/9 भाग	0.02 OR 0. 0162	530	0.05 OR 0.0405	638 का 1/2 भाग	1.16 OR 0. 29135
191	2.10	0.4047	—	—	—	—	531	0.04 OR 0.0324	138	0.02 OR 0. 0162
208	0.16	0.1295	—	—	—	—	—	—	—	—
209	5.14	0.9227	—	—	—	—	—	—	—	—
272	5.10	0.8903	—	—	—	—	—	—	—	—
415	0.12	0.0971	—	—	—	—	—	—	—	—
437	1.03	0.1862	—	—	—	—	—	—	—	—
442	1.11	0.2509	—	—	—	—	—	—	—	—
443	0.13	0.1052	—	—	—	—	—	—	—	—
528	0.19	0.1538	—	—	—	—	—	—	—	—
529	0.05	0.0405	—	—	—	—	—	—	—	—
530	0.05	0.0405	—	—	—	—	—	—	—	—
531	0.04	0.0324	—	—	—	—	—	—	—	—
587	0.14	0.1133	—	—	—	—	—	—	—	—
638	3.12	0.5827	—	—	—	—	—	—	—	—
ख.सं. 23	40.07	6.5316		10.01		10.02		10.02		10.02

तहसीलदार सीमलवाडा उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव, सारणी एवं अंतिम डिग्री अनुसार रिकार्ड में अमलदरामद करें।

आज दिनांक 18.03.2021 को अंतिम डिग्री खुले न्यायालय में सुनायी गयी।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सीमलवाडा
सीमलवाडा